न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनू मीणा (आर.ए.एस)

अपील संख्याः–07/13

निर्णय दिनांकः–22.01.2019

1. ताजबानो बेवाह समदखां अब बेवाह फूलेखां
2. अली खां पुत्र फूले खां
3. मन्जर अली पुत्र वाहिद अली उम्र 15 वर्ष
4. अरफान पुत्र वाहिद अली उम्र 12 वर्ष दोनो अवयस्क जरिये माता हलीमा पत्नी स्व वाहिद अली
5. हलीमा पत्नी स्व0 वाहिद अली
6. युसुफ खां पुत्र फूले खां
7. गुलामुखां पुत्र फूले खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम हेतमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी।

बनाम

1. रमजान खां उर्फ उसे खां
2. कलन्दर खां
3. महमूदखां
4. अरशदखां
5. सिकन्दरखां समस्त पुत्रगण खाजूखां
6. काफिया बानो पत्नी खाजूखां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम गोड़िया छोटा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
7. सुभान खां
8. वाजिद खां
9. असलम खां
10. मकबूलखां समस्त पुत्रगण फूलेखां
11. इकबालखां पुत्र वाहिद अली समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम हेतमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी।
12. हल्का पटवारी, पटवर हल्का देवास तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
13. तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

............रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांकित 05.04.2013
ग्राम पंचायत देवास पंचायत समिति फतेहपुर

–:निर्णयः–

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 54/2 रकबा 6.46 है0 वाके ग्राम हेतमसर जिसका पूर्व में खसरा नम्बर 54 रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा था।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी (सीकर)

भूमि खसरा नम्बर 54 रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 व खसरा नम्बर 54/2 रकबा 6.46 है0 वाके ग्राम हेतमसर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 7 ता 11 के पूर्वज समदखां व फूलेखां के शामलाती कब्जेकाश्त व खाते की थी। अब उक्त भूमि ...

था। बाद में अपीलान्ट ने समद खां के भाई फूलेखां से पुनः निकाह कर लिया और समद खां के हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 54 पर अपने पति फूलेंखा के साथ काबिज रही है और अब अपने पुत्रो के साथ काबिज चली आ रही है।

खाजूखां को समदखां व उसकी पत्नी अपीलान्ट संख्या 01 ने कभी भी गोद नहीं लिया और न वह कभी गोद रहा ही और ना वह कानूनन गोद लिया ही जा सकता था और ना समदखां को कोई गोद की आवश्यकता ही थी क्योकि समदखां की मृत्यू 22 वर्ष की अवस्था में ही उसके विवाह के तत्काल बाद हो गई थी और ना अपीलान्ट के समाज में गोद लिये जाने का कोई रिवाज ही है।

भूमि खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 अपीलान्ट संख्या 01 को उत्तराधिकार में प्राप्त होकर पिछले 55 साल से उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से पहले अपने पति के साथ व अब अपने पुत्रो के साथ चला आ रहा है और उक्त भूमि के रकबा में अपीलान्ट की ढाणी व कुण्ड बना हुआ है जिस ढाणी में रहकर अपीलान्ट अपनी फसल को काश्त करते है। वर्तमान में भी अपीलान्ट ने उक्त भूमि में अपनी फसल काश्त कर रखी है।

खाजूखां का उक्त भूमि खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा और ना अब रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 06 का कोई कब्जा काश्त है ना खाजूखां उक्त समदखां का उत्तराधिकारी ही था। समदखां की एकमात्र उत्तराधिकरीणी अपीलान्ट संख्या 01 है फिर भी गलत व अवैध रूप से उक्त भूमि का खाता खाजूखां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोड़िया छोटा ने गलत रूप से समदखां का दत्तक पुत्र बनकर अपने नाम करवा दिया जो कतई गलत अकृत, शून्य व प्रभावहीन है जिस खाते को अकृत शून्य व प्रभावहीन उद्घोषित करवाने का वाद संख्या 54/99 उनवान ताजबानो आदि बनाम खाजूखां अदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में लम्बित है तथा न्यायलय राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी संख्या 69/2000 में भूमि खसरा नम्बर 54/1 व अन्य भूमियो बाबत मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जो आज भी प्रभावी है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 06 का उक्त भूमि खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 वाके ग्राम हेतमसर से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होने व ना कोई कब्जा काश्त होने पर भी उक्त भूमि का खाता जरिये नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांकित 04.05.2013 अपने नाम करवा लिया जो अकृत, शून्य व प्रभावहीन है क्योकिं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 06 का भूमि खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 के किसी भी भाग अनुभाग पर कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा और ना अब है, योग्य अधिनस्थ पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण भरने से पहले न तो कोई कब्जे की जांच की ना उक्त भूमि बाबत चल रहे वाद व स्थगन को ही ध्यान में रखा, नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही अवैध व विधि विरूद्ध होकर सर्वथा गलत व प्रभावहीन है, नामान्तरकरण नियमो के विपरीत होने से अवैध व प्रभावहीन है, रेस्पोडेन्टस संख्या 12 व 13 को उक्त भूमि बाबत राजस्व मण्डल द्वारा जारी किये गये स्थगन की जानकारी होने पर भी साज कर स्थगन के तथ्य को छिपाकर ग्राम पंचायत से साज कर यह नान्तरकरण विधि विरूद्ध तरीके से भरवाया गया है जो अकृत, शून्य व प्रभावहीन है, उक्त नामान्तरकरण भरने से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 54 के काबिज काश्तकारान अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांकित 05.04.2013 ग्राम पंचायत देवास को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 06 स्वयं जरिये वकील उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3, 5, 7 ता 13 बावजुद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 06 ने कोई भी जबाब पेश नहीं किया अतः उक्त की जबाबदेही बन्द की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत नें बिना किसी जांच किये उक्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण कर दिया गया जबकि विवादित आराजी के सम्बंध में उस समय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी संख्या 69/2000 उनवानः—जस्सूखां बनाम ताजबानो में खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी नामान्तरकरण कर दिया गया जो कि गलत है। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांकित 05.04.2013 को खारिज किया जावें। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 06 ने भी बहस में कथन किया कि प्रकरण में उस समय स्थगन आदेश प्रभावी था।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांकित 05.04.2013 जो खातेदार खाजू खा पि.मू. समद खां के विरासत का दर्ज कर प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त नामान्तरकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्थगन आदेश के दौरान दर्ज किया गया है जिससे वाद बहुलता बढ़ी है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने बिना कोई जांच किये अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया हैं यदि उक्त विवादित आराजी के सम्बंध में कोई विवाद था तो पहले तहसीलदार रामगढ के पास भिजवाना चाहिए था। अतः नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांकित 05.04.2013 खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 05.04.2013 ग्राम पंचायत देवास खारिज किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 54/1 रकबा 6.46 है0 वाके ग्राम हेतमसर में खातेदार का नाम खाजूखां पि. मू. समद खां दर्ज किया जावें। निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी